रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 879] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 29, 2017/ चैत्र 8, 1939
No. 879] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 29, 2017/CHAITRA 8, 1939

## भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय

## (भारी उद्योग विभाग)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2017

**का. आ. 986 (अ).-** चूंकि, सेवा या लाभ अथवा सब्सिडी प्रदान करने के लिए पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का प्रयोग सरकारी सुपुर्दगी प्रक्रियाओं को सरल बनाता है, पारदर्शिता और कार्यकुशलता लाता है तथा लाभार्थियों को अपने पात्रता लाभ सुविधाजनक और अवरोधरहित तरीके से सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है एवं आधार अपनी पहचान प्रमाणित करने के लिए अनेक दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता से छुटकारा दिलाता है ;

और चूंकि, भारत सरकार में भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय (इसमें इसके बाद इसे विभाग कहा गया है) केन्द्र सरकार की एक स्कीम के रूप में शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों (जिन्हें इसमें इसके बाद लाभार्थी कहा गया है) द्वारा कार की खरीद पर उत्पाद शुल्क रियायत (जिसे इसमें इसके बाद स्कीम कहा गया है) प्राप्त करने के लिए प्रमाण पत्र जारी करता है;

और चूंकि, इस स्कीम के तहत, उत्पाद शुल्क में रियायत, अर्थात, घटा उत्पाद शुल्क (जिसे इसमें इसके बाद लाभ कहा गया है) शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को कारों की खरीद पर या तो कारों की खरीद के समय कार विनिर्माता कंपनियों द्वारा या कारों की खरीद के बाद उत्पाद शुल्क विभाग, भारत सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति से प्रदान किया जाता है;

और चूंकि, उपर्युक्त स्कीम के कार्यान्वयन से उत्पाद शुल्क संग्रहण में कमी आएगी और इसलिए भारत की संचित निधि से व्यय होना शामिल है;

अत:, अब, आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवा की लक्षित सुपुर्दगी) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके बाद उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के प्रावधानों के अनुसरण में, केन्द्र सरकार एतद्वारा निम्नलिखित अधिसूचित करती है, अर्थात् :

1. (1) इस स्कीम के तहत लाभ प्राप्त करने के इच्छुक किसी व्यक्ति को अपने पास आधार होने का प्रमाण प्रस्तुत करना या आधार सत्यापन करवाना आवश्यक होगा।

(2) ) इस स्कीम के तहत लाभ प्राप्त करने का इच्छुक कोई व्यक्ति, जिसके पास आधार संख्या नहीं है या, उसने अब तक आधार के लिए नामांकन नहीं किया है, परन्तु इस स्कीम के तहत लाभ प्राप्त करने का इच्छुक है, को 30 जून, 2017 तक आधार नामांकन के लिए आवेदन करना आवश्यक होगा, बशर्ते वह व्यक्ति उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार आधार प्राप्त करने के लिए पात्र हो तथा ऐसे व्यक्ति आधार हेतु नामांकन के लिए किसी आधार नामांकन केन्द्र (www.uidai.gov.in) पर जा सकते हैं।

(3) आधार(नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के नियम 12 के अनुसार, ऐसा विभाग, जिसमें किसी व्यक्ति के लिए आधार प्रस्तुत करना आवश्यक हो, उन लाभार्थियों जिन्होंने आधार के लिए अब तक नामांकन नहीं करवाया है, के लिए आधार नामांकन सुविधाएं देना आवश्यक है तथा समीप में जैसे ब्लॉक या तालुका या तहसील में आधार नामांकन केन्द्र स्थित न होने की स्थिति में, विभाग के लिए यूआईडीएआई के वर्तमान रजिस्ट्रारों के साथ समन्वय से या विभाग द्वारा स्वयं यूआईडीएआई रजिस्ट्रार बनकर सुविधाजनक स्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करना आवश्यक होगा।

परन्तु कि उस व्यक्ति को आधार दिए जाने के समय तक, इस स्कीम के तहत ऐसे व्यक्ति को लाभ निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने की शर्त पर दिए जाएंगे, अर्थात् :—

क) (i) यदि उस व्यक्ति ने आधार हेतु नामांकन करवा लिया है, तो आधार एनरॉलमेंट आईडी स्लिप; या
(ii) आधार के लिए नामांकन हेतु किए गए अनुरोध की एक प्रति, जैसा पैरा 2 के उप-पैरा(ख) में निर्दिष्ट है;

ख) किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण-पत्र; और

ग) (i) फोटो सहित बैंक पासबुक; या (ii) मतदाता पहचान प्रमाण पत्र; या (iii) राशन कार्ड; या (iv) स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड; या (v) पासपोर्ट; या (vi) मोटर वाहन अधिनियम 1988 (1988 का 59) के तहत लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया ड्राइविंग लाइसेंस; या (vii) किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा अपने पत्र शीर्ष पर जारी किया गया ऐसे सदस्य का फोटो सहित पहचान प्रमाण-पत्र; या (viii) एमजीएनआरईजीएस कार्ड; या (ix) विभाग द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज।

परन्तु यह भी कि उपर्युक्त दस्तावेजों की जांच विभाग द्वारा विशिष्ट रूप से नामित अधिकारी द्वारा उस प्रयोजनार्थ की जाएगी।

2. इस स्कीम के तहत लाभार्थियों को सुविधाजनक तथा तकलीफ मुक्त लाभ प्रदान करने के लिए, यह विभाग कार विनिर्माता कंपनियों या सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के माध्यम से निमनलिखित सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं करेगा, अर्थात्:-

क) इस स्कीम के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए आधार की आवश्यकता के बारे में लाभार्थियों को जागरूक करने के लिए मीडिया तथा व्यक्तिगत सूचनाओं के माध्यम से विस्तृत प्रचार-प्रसार किया जाएगा तथा यदि उन्होंने आधार हेतु अपना नामांकन नहीं करवाया है, तो उन्हें 30 जून, 2017 तक अपने क्षेत्रों में उपलब्ध निकटतम नामाकंन केन्द्र पर अपने-आप को नामांकित करवाने की सलाह दी जाएगी। स्थानीय तौर पर उपलबध नामांकन केन्द्रों की सूची(सूची www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) उनहें मुहैया करवाई जाएगी।

ख) समीप में जैसे ब्लॉक या तालुका या तहसील में आधार नामांकन केन्द्र स्थित न होने के कारण लाभार्भियों द्वारा नामांकन न करवा पाने की स्थिति में, विभाग को सुविधाजनक स्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं सृजित करनी आवश्यक हैं तथा इस प्रयोजनार्थ विभाग द्वारा विशिष्ट रूप से नामित संबंधित अधिकारियों या वेब पोर्टल के माध्यम से पैरा 1 के उप-पैरा(3) के प्रथम परंतुक में विनिर्दिष्ट निर्देशों के अनुसार उनका नाम, पता, मोबाइल संख्या तथा अन्य ब्यौरा देते हुए आधार नामांकन हेतु लाभार्थियों से आधार हेतु पंजीकृत करवाने का अनुरोध किया जा सकता है।

3. यह अधिसूचना असम, मेघालय तथा जम्मू और कश्मीर राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों में सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[सं.12(17)/2017-एईआई (12044)]

विश्वजीत सहाय, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES**

**(Department of Heavy Industry)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 28th March, 2017

**S.O.986(E).—**Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Department of Heavy Industry, Ministry of Heavy Industries & Public Enterprises in the Government of India (hereinafter referred to as the Department) is issuing Certificate for availing Excise Duty Concession on Purchase of Car (hereinafter referred to as the Scheme) by Physically Handicapped Persons (hereinafter referred to as the beneficiary) as a Central Sector Scheme;

And whereas, under the Scheme, concession of excise duty, namely, reduced excise duty (hereinafter referred to as benefits) is provided to the Physically Handicapped Persons on purchase of cars either by the Dealers of Car Manufacturing Companies at the time of purchase of cars or reimbursed by the Excise Department, Government of India after purchase of cars;

And whereas, the implementation of the aforesaid Scheme entails less excise duty collection and therefore, involve expenditure incurred from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby notifies the following, namely:

1. (1) Any individual desirous of availing benefits under the Scheme is hereby required to furnish proof of possession of Aadhaar or undergo Aadhaar authentication.

(2) An individual desirous of availing the benefits under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or, has not yet enrolled for Aadhaar, but desirous of availing the benefits under the Scheme is hereby required to make application for Aadhaar enrolment by 30th June 2017 , provided the individual is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the said Act and such individuals may visit any Aadhaar enrolment centre (list available at www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar.

(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Department which requires an individual to furnish Aadhaar is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the vicinity such as in the Block or Taluka or Tehsil, the Department is required to provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by Department itself becoming UIDAI registrar:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefits under the Scheme shall be given to such individual, subject to the production of the following documents, namely:-

(a) (i) if the individual has enrolled, then Aadhaar Enrolment ID slip; or

(ii) a copy of the request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (b) of paragraph 2;

(b) Disability certificate issued by a Competent Authority; and

(c) (i) Bank passbook with photograph; or (ii) Voter identity card; or (iii) Ration Card; or (iv) Permanent Account Number (PAN) Card; or (v) Passport; or (vi) Driving license issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or (vii) Certificate of identity having photo of such member issued by a Gazetted Officer on an official letter head; or (viii) MGNREGS Card; or (ix) any other documents as specified by the Department:

Provided further that the above documents shall be checked by an officer specifically designated by the Department for that purpose.

2. In order to provide convenient and hassle free benefits to the beneficiaries under the Scheme, the Department through the Car manufacturing Companies or Society of Indian Automobile Manufacturers shall make all required arrangements including the following, namely:-

(a) Wide publicity through media and individual notices to be given to the beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar to receive benefits under the Scheme and they may be advised to get themselves enrolled at the nearest enrolment centre available in their areas by 30th June, 2017, in case they are not yet

enrolled. The list of locally available enrolment centres (list available at www.uidai.gov.in) shall be made available to them.

(b) In case, the beneficiaries are not able to enroll due to non-availability of enrolment centres in the near vicinity such as in the Block or Taluka or Tehsil, the Department is required to create Aadhaar enrolment facilities at convenient locations, and the beneficiaries can be requested to register their requests for Aadhaar enrolment by giving their names, address, mobile number and other details as specified in the first proviso to sub-paragraph (3) of paragraph 1, with the concerned officials specifically designated by the Department or through the web portal provided for the purpose.

3. This Notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all the States and Union territories except the States of Assam, Meghalaya and Jammu & Kashmir.

[No.12 (17)/2017-AEI (12044)]

VISHVAJIT SAHAY, Jt. Secy.

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL
Date: 2017.03.31 14:48:42 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.